

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-21052021-227109
SG-DL-W-21052021-227109

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 07]	दिल्ली, मई 14—मई 20, 2021, बृहस्पतिवार/ वैशाख 24 — वैशाख 30, 1943	[रा.रा.क्षे.दि.सं. 28
No. 07]	DELHI, MAY 14—MAY 20, 2021, THURSDAY/VAISAKHA 24— VAISAKHA 30, 1943	[N.C.T.D. No. 28

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 22 मार्च, 2021

सं.15/डीएचसी/गज़ट IIबी/स्पे.एम.एम./2021.—इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण निम्नलिखित विशेष महानगर दंडाधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार दिनांक 31.07.2021 अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, जैसाकि उनके नाम के सम्मुख लिखित है, सहर्ष बढ़ाते हैं:

क्रमांक	विशेष महानगर दंडाधिकारियों के नाम	विस्तार की अवधि
1.	श्री सुनील दत्त शर्मा	01.02.2021 से 31.07.2021

2.	श्री एसपी. विर्दी.	01.02.2021 से 31.07.2021
3.	श्री वीरेंद्र सिंह आर्या	01.02.2021 से 06.07.2021 (65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि)
4.	श्री यतेन्द्र सिंह	01.02.2021 से 31.07.2021
5.	श्री नरेश कुमार बवेजा	01.02.2021 से 31.07.2021
6.	श्री मणि कान्त चौधरी	01.02.2021 से 08.02.2021 (65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि)
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह	01.02.2021 से 31.07.2021
8.	श्री दया प्रकाश निदारिया	01.02.2021 से 31.07.2021
9.	सुश्री प्रतिमा रानी गुप्ता	01.02.2021 से 31.07.2021
10.	श्री ब्रह्म सिंह केन	01.02.2021 से 31.07.2021
11.	श्री रणवीर सिंह संधू	01.02.2021 से 31.07.2021
12.	श्री बाँके लाल शर्मा	01.02.2021 से 31.07.2021
13.	श्री उमेश चन्द्र शर्मा	01.02.2021 से 31.07.2021
14.	श्री गौरी शंकर अग्रवाल	01.02.2021 से 31.07.2021
15.	सुश्री निशा भारद्वाज	01.02.2021 से 31.07.2021
16.	श्री वीरेंद्र सिंह	01.02.2021 से 31.07.2021
17.	श्री अशोक कुमार श्रीमाली	01.02.2021 से 31.07.2021
18.	श्री सुरेश कुमार सिक्का	01.02.2021 से 31.07.2021

उपरोक्त नामित अधिकारी द्वितीय शनिवार अवकाश सहित सप्ताह में छः दिन कार्य करेंगे तथा दिल्ली लघु अपराध (विशेष महानगर दंडाधिकारी द्वारा विचारण) नियम, 1998 में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार अवकाश के हकदार होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार

डा. सौरभ कुलश्रेष्ठ, विशेष कर्तव्य अधिकारी (गज़ट II)

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd March, 2021

No. 15/ DHC/GAZ.IIB/SPL.MM/2021.—Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges of this Court have been pleased to extend the term of the following Special Metropolitan Magistrates upto 31.07.2021 or till the date of their attaining the age of 65 years, whichever is earlier, as mentioned against their names:-

Sl. No.	Name (s) of Special MMs	Period of Extension
1.	Mr. Sunil Dutt Sharma	01.02.2021 to 31.07.2021
2.	Mr. S.P. Viridi	01.02.2021 to 31.07.2021
3.	Mr. Virender Singh Arya	01.02.2021 to 06.07.2021 (date of attaining the age of 65 years)
4.	Mr. Yatendra Singh	01.02.2021 to 31.07.2021
5.	Mr. Naresh Kumar Baweja	01.02.2021 to 31.07.2021
6.	Mr. Mani Kant Chaudhary	01.02.2021 to 08.02.2021 (date of attaining the age of 65 years)
7.	Mr. Surendra Singh	01.02.2021 to 31.07.2021
8.	Mr. Daya Prakash Nidaria	01.02.2021 to 31.07.2021
9.	Ms. Pratima Rani Gupta	01.02.2021 to 31.07.2021
10.	Mr. Brahm Singh Kain	01.02.2021 to 31.07.2021
11.	Mr. Ranbir Singh Sandhu	01.02.2021 to 31.07.2021
12.	Mr. Bankey Lal Sharma	01.02.2021 to 31.07.2021
13.	Mr. Umesh Chandra Sharma	01.02.2021 to 31.07.2021
14.	Mr. Gauri Shankar Aggarwal	01.02.2021 to 31.07.2021
15.	Ms. Nisha Bhardwaj	01.02.2021 to 31.07.2021
16.	Mr. Virender Singh	01.02.2021 to 31.07.2021
17.	Mr. Ashok Kumar Shrimali	01.02.2021 to 31.07.2021
18.	Mr. Suresh Kumar Sikka	01.02.2021 to 31.07.2021

The above named officers would work for six days a week with Second Saturday off and would be entitled to leave as per the provisions contained in the Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrate) Rules, 1998.

By Order of the Court

Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Officer on Special Duty (Gazette-II)